CNR No.-UPGZ01-002448-2023

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13, गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध प्रार्थनापत्र संख्या-56/2023
(विविध सिविल अपील संख्याः-24/2015)
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-56/2023
नर सिंह आदि बनाम श्रीमती राजकुमारी

उपस्थितिः-1-प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार त्यागी।
2-प्रतिवादिनी/उत्तरदाता की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मवीर शर्मा।

दिनांक-**10-05-2023**

निस्तारण प्रार्थनापत्र नम्बर साबिक अंतर्गत आदेश 21 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

अपीलार्थीगण नर सिंह व धर्मेन्द्र की तरफ से प्रार्थनापत्र दिनांकित 27.01.2023 मय शपथपत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि विविध अपील संख्या 24/2015 नरसिंह आदि बनाम राजकुमारी में दिनांक 10.01.2023 वास्ते बहस नियत थी। अपीलार्थी दिनांक 10.01.2023 को अचानक पेचिस व बुखार से ग्रस्त हो गया, जिस कारण नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अपनी बीमारी की सूचना अपने अधिवक्ता को भी नहीं दे सका था। जिस कारण अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दे सके थे। नियत तिथि 10.01.2023 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित न आने के कारण अदम हाजरी अपील खण्डित कर दी गयी। दिनांक 10.01.2023 को अपीलार्थी की न्यायालय में उपस्थिति उसकी पहुँच से बाहर थी, गैर हाजरी का कारण पर्याप्त है जो सदभावना पर आधारित है। न्यायहित में आदेश दिनांक 10.01.2023 मंसूख होकर विविध अपील का नम्बर साबिक पर कायम होना अति आवश्यक है। आदेश दिनांक 10.01.2023 के कायम रहने से अपीलार्थी को अत्यधिक हानि है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। प्रार्थना की गयी है कि विविध अपील संख्या 24/2015 नर सिंह आदि बनाम राजकुमारी में पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 मंसूख किया जाकर विविध अपील नम्बर साबिक पर कायम किया जावे।

विपक्षी/रेस्पोडेन्ट श्रीमती राजकुमारी की तरफ से प्रार्थना पत्र नम्बर साबिक दिनांकित 27.01.2023 के विरुद्ध आपत्तिपत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत की गयी है। मुख्य रूप से आपत्ति की गयी है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र नम्बर साबिक दाखिल दिनांकित 27.01.2023 खिलाफ कानून व वाकात है जो हर हालत में खण्डित होने योग्य है। दिनांक 10.01.2023 को बास्ते बहस अपील में नियत थी और अपीलार्थी बीमार नहीं था, बल्कि न्यायालय में आया हुआ था जैसे ही अपील उपरोक्त में आवाज लगी तो अपीलार्थी बाहर खड़ा रहा और बोल नहीं और न ही न्यायालय में अन्दर गया इसलिए अपील उपरोक्त अदम पैरवी में खण्डित होने योग्य है। विपक्षी/अपीलार्थी अति चालाक किस्म का व्यक्ति है और जानबूझकर अपील उपरोक्त में बहस करने में देरी करना चाहता है और वाद में देरी करना चाहता

है। उपरोक्त कारणोवश अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र नम्बर साबिक अपील दिनांकित 27.01.2023 मय हर्जे व खर्चे अधिवक्ता खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत विविधि प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2023 में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में प्रस्तुत विविध सिविल अपील निरस्त कर दी थी। विविध प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलार्थीगण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.01.2023 को अपास्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत नम्बर साबिक अपीलार्थीगण द्वारा विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय की राय में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन में तथा वाद के गुण दोष पर निस्तारण के लिए अपीलार्थीगण को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि अपीलार्थीगण को उक्त वाद में अपना पक्ष रखने हेतु अवसर नहीं दिया गया तो उनको अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। जहाँ तक विपक्षी/रेस्पोडेन्ट की आपत्ति का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1– प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत नम्बर साबिक अंकन 2,000/–रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

2– हर्जा विपक्षी/रेस्पोडेन्ट श्रीमती राजकुमारी को अग्रिम तिथि से पूर्व अदा किया जावे।

3– न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.01.2023 अपास्त किया जाता है।

4– पत्रावली अपने मूल नम्बर पर कायम हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-13, गाजियाबाद।

दिनांक-10.05.2023